

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान

राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 15.7.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	रागेश कुमार पाण्डेय पिता-कल्पनाथ पाण्डेय ग्राम-जैतीया पाण्डेय टोला पोस्ट-जयी, थाना-दाउदपुर जिला-सारण सी.आर नं०-2015047393	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
2	माया शंकर राय पिता-राजदेव राय ग्राम-भगवानपुर पोस्ट-महदा, थाना-वरुराज जिला-मुजफ्फरपुर सी.आर नं०-2015374300	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
3	सुनील प्रसाद पिता-श्री राम स्वरूप प्रसाद ग्राम+पो०-रैसा थाना-चण्डी जिला नालंदा सी.आर नं०-2015343802	कैंसर रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
4	नदेश्वर सिंह पिता-रामराज सिंह ग्राम-करुप पोस्ट-बभनी, थाना-करगहर जिला-रोहतास सी.आर नं०-2015196530	किडनी रोग	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
5	अंकिता कुमारी पिता-सुनील सिंह ग्राम+पो०+थाना-इटाढ़ी जिला-बक्सर सी.आर नं० 2014634981	लीवर रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 7,30,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,30,000/-(सात लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 850181 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस०जी०पी०जी०आई०एम०एस०पी०ई०डी० खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस०जी०पी०जी०आई०,RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डा० राजधारी रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 850181 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।।

ह०/—

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक - 882 (14)

पटना, दिनांक - 29-7-15

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों /आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

4-27-7-15

सं० सं० 14/एम 11-4/15
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सर सुन्दर लाल हॉस्पिटल,
इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस,
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी,
वाराणसी।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 15.7.15 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	लीलावती देवी पति-अरविन्द कुमार ग्राम-कुरहरा पोस्ट-बड़हरी थाना-करगहर जिला-रोहतास हौस्पिटल नं.-20656	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
2	कुमारी सीमा पति/पिता-विमल कुमार शर्मा ग्राम-बलीयारी पोस्ट-झड़ी, थाना-आमस, जिला-गया हौस्पिटल नं०-1619/14	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
3	आनन्द मोहन कुमार पिता-उदय नारायण सिंह ग्राम+पो०-मकरपुर थाना-मखदुमपुर जिला-जहानाबाद हौस्पिटल नं०-903/15	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
4	सीमा देवी पति-कृष्ण मुरारी द्विवेदी ग्राम-सेहा, पोस्ट-जमालपुर थाना-चौद, जिला-भभुआ, कैमुर हौस्पिटल नं० 409/15	कैंसर रोग ।सी	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
5	हीरा देवी पति-राम निवास शर्मा ग्राम-पननीया पो०-घटेरा थाना-गुरारू, जिला-गया हौस्पिटल नं०-2245/14	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।

6	मन्नु शर्मा पिता-बिरेन्द्र शर्मा ग्राम-सिमरीभान भरौली पट्टी पोस्ट+थाना- सिमरी जिला-बक्सर ओ.पी.डीनं0-सीटीभीएस 2714 / 15	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 5,05,000 /-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,05,000 /- (पांच लाख पांच हजार) रुपये का क्रास चेक सं०.....
.....850195.....मूल रूप में संलग्न है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० राजधारी रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक - 877 (14)

पटना, दिनांक - 29-7-15

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/7/15
निदेशक प्रमुख
29-7-15

